

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1508]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 15, 2016/ज्येष्ठ 25, 1938

No. 1508]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 15, 2016/JYAISTHA 25, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2016

का.आ. 2120(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948(1948 का 34) की धारा 10 की उप-धारा(1) के अनुसरण में तथा भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 21 अक्तूबर, 2010 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 2606(अ.) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिक्रमण से पहले की गई या किए जाने से रह गई चीजों के संबंध में एतद्वारा निदेश देती है शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चिकित्सा प्रसुविधा परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः :-

अध्यक्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 10 की उप-धारा (1) की धारा (क) के अंतर्गत नियुक्त)

1. महानिदेशक, (पदेन)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

उपाध्यक्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 10 की उप-धारा (1) की धारा (ख) के अंतर्गत नियुक्त)

2. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय(पदेन)

सदस्य

(केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 10 की उप-धारा (1) की धारा (ग) के अंतर्गत नियुक्त)

3. चिकित्सा आयुक्त, ईएसआईसी(पदेन)

(संबंधित राज्य सरकारों द्वारा धारा 10 की उप-धारा (1) की धारा (घ) के अंतर्गत नियुक्त)

4. निदेशक (बीमा चिकित्सा सेवाएं), आंध्र प्रदेश सरकार, ईएसआई स्कीम, हैदराबाद।

5. तेलंगाना सरकार के मनोनीत व्यक्ति –अधिसूचित किए जाने हैं –
 6. प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी,
ईएसआई स्कीम, असम सरकार, दिसपुर।
 7. निदेशक, चिकित्सा सेवाएं,
ईएसआई स्कीम, श्रम विभाग, बिहार सरकार, पटना।
 8. प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, गोवा सरकार,
पंचदीप भवन, 23वीं ईडीसीएस, पाटो प्लाजा, पणजी – गोवा।
 9. निदेशक, चिकित्सा सेवाएं, ईएसआई स्कीम, गुजरात सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिवालय, गांधीनगर।
 10. निदेशक, ईएसआई योजना, हरियाणा सरकार, एससीओ संख्या 830 एनएसी, मणिमाजरा, चंडीगढ़।
 11. स्वास्थ्य सेवाएं तथा परिवार नियोजन निदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
 12. श्रमायुक्त, जम्मू व कश्मीर सरकार, श्रीनगर (मई से अक्तूबर) जम्मू (नवम्बर से अप्रैल)।
 13. निदेशक, ईएसआई योजना (चिकित्सा) सेवाएं, कर्नाटक सरकार, सामाजिक कल्याण तथा श्रम विभाग, बंगलौर।
 14. निदेशक, बीमा चिकित्सा सेवाएं, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम।
 15. निदेशक, ईएसआई योजना, मध्य प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, इंदौर।
 16. आयुक्त, ईएसआई योजना, महाराष्ट्र सरकार, 6वां तल, पंचदीप भवन, लोअर परेल, मुम्बई।
 17. निदेशक, ईएसआई योजना, ओडिसा सरकार, भुवनेश्वर।
 18. स्वास्थ्य सेवाएं (एस.आई.) निदेशक, पंजाब सरकार, परिवार कल्याण भवन, सैक्टर 34, चंडीगढ़।
 19. निदेशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं (ईएसआई योजना), राजस्थान सरकार, जयपुर।
 20. स्वास्थ्य सेवाएं तथा परिवार कल्याण निदेशक, तमिलनाडू सरकार, चेन्नई।
 21. चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक, ईएसआई योजना, उत्तर प्रदेश सरकार, सर्वोदय नगर, कानपुर।
 22. निदेशक, ईएसआई (चिकित्सा लाभ), पश्चिम बंगाल सरकार, श्रम विभाग, कोलकाता।
 23. निदेशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं, (ईएसआई योजना), झारखण्ड सरकार, श्रम, योजना तथा प्रशिक्षण विभाग, रांची।
 24. चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक (ईएसआई योजना), उत्तराखण्ड सरकार, ईएसआई औषधालय, विश्राम शिविर, देहरादून।
 25. चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक (ईएसआई योजना), छत्तीसगढ़ सरकार, डी-290/5, टैगोर नगर, रायपुर।
- (इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नियोक्ताओं के संगठनों के साथ परामर्श में धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त)

26. श्री जी.पी.श्रीवास्तव
मुख्य सलाहकार,
एस्सोचेम,
5, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली।
ई-मेल g.p.srivastava@assocham.com
27. श्री एस.ए.खान,
प्रधान (एचआरएण्ड सीए),
सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)
स्कोप कॉम्पलेक्स, कोर-8, प्रथम तल,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
ई-मेल-hscope.khan@gmail.com
28. श्रीमती मालती बाड़,
कार्यकारी निदेशक,
गुजरात नियोक्ता संगठन,
ट्रिडेंट परिसर, गेरी कार्यालय के सामने,
रेसकोर्स, बडौदरा, गुजरात
(इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नियोक्ताओं के संगठनों के साथ परामर्श में धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त)
29. श्री एस.मल्लेशाम,
अध्यक्ष, (बीएमएस तेलंगाना राज्य),
भारतीय मजदूर संघ,
टीआरटी-141, जवाहर नगर,
हैदराबाद, (तेलंगाना)
ई-मेल- mallesham_sunkari@yahoo.com
30. श्री अरविंद एस.परमार,
आरडीएल-5, जीआईडीसी कॉलोनी,
प्रथम तल, कलोल
जिला पंचमहल, गुजरात,
ई-मेल-arvindsingh_parmar@yahoo.com
31. श्री रामकिशोर त्रिपाठी,
सचिव,
हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस)
त्रयबंक,
128/239, के – ब्लॉक,
किदवई नगर, कानपुर (यूपी)
ई-मेल-tripathi.rm@gmail.com

(इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नियोक्ताओं के संगठनों के साथ परामर्श में धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (छ) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त)

32. डा. विनय कुमार अग्रवाल,
ए-14, पुष्पांजलि,
विकास मार्ग एक्सटेंशन
दिल्ली-110092।
ई-मेल-vinayaggar@yahoo.com

33. अधिसूचित किया जाना है-

34. अधिसूचित किया जाना है-

[फा. सं. यू-16012/02/2010-एसएस-1]

राजीव अरोडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, 15th June, 2016

S.O. 2120(E).—In pursuance of Sub-Section (1) of Section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in suppression of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment number S.O.2606(E) dated the 21st Oct,2010 except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby directs that the Medical Benefit Council shall, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, consist of the following members, namely :—

CHAIRMAN

(Appointed by the Central Government under clause (a) of Sub-Section (1) of Section 10)

1. The Director General, (Ex-Officio)
Employees' State Insurance Corporation

CO-CHAIRMAN

(Appointed by the Central Government under clause (b) of Sub-Section (1) of Section 10)

2. The Director General, Health Services, Ministry of Health & FW (Ex-officio)

MEMBERS

(Appointed by the Central Government under clause (c) of Sub-Section (1) of Section 10)

3. Medical Commissioner, ESIC (Ex-Officio)

(Appointed by the State Governments concerned under clause (d) of Sub-Section (1) of Section 10)

4. Director (Insurance Medical Services) to the Govt. of Andhra Pradesh,
ESI Scheme, Hyderabad.
5. Nominee of Govt of Telangana- to be notified-
6. Administrative Medical Officer,
ESI Scheme, Govt. of Assam, Dispur.

7. Director of Medical Services,
ESI Scheme, Department of Labour, Govt. of Bihar, Patna.
8. Administrative Medical Officer, Govt. of Goa,
Panchdeep Bhawan, 23rd EDCS, Patto Plaza, Panaji-Goa.
9. Director of Medical Services, ESI Scheme, Govt. of Gujarat,
Health & Family Welfare Department, Sachivalaya, Gandhinagar.
10. Director, ESI Scheme, Govt. of Haryana,
SCO No.803 NAC, Manimajra, Chandigarh.
11. Director of Health Services and Family Planning,
Govt. of Himachal Pradesh, Shimla.
12. Labour Commissioner, Govt. of Jammu & Kashmir,
Srinagar (from May to October) Jammu (from November to April).
13. Director, ESI Scheme (Medical) Services, Govt. of Karnataka,
Social Welfare & Labour Department, Bangalore.
14. Director, Insurance Medical Services, Govt. of Kerala, Thiruvanthapuram.
15. Director, ESI Scheme, Govt. of Madhya Pradesh,
Labour Department, Indore.
16. Commissioner ESI Scheme, Govt. of Maharashtra,
6th Floor, Panchdeep Bhawan, Lower Parel, Mumbai.
17. Director, ESI Scheme, Govt. of Orissa, Bhubaneswar.
18. Director of Health Services (S.I.), Govt. of Punjab,
Parivar Kalyan Bhawan, Sector 34, Chandigarh.
19. Director, Medical and Health Services (ESI Scheme), Govt. of Rajasthan, Jaipur.
20. Director of Health Services and Family Welfare, Govt. of Tamil Nadu, Chennai.
21. Director of Medical and Health Services, ESI Scheme,
Govt. of Uttar Pradesh, Sarvodaya Nagar, Kanpur.
22. Director, ESI (Medical Benefit) Scheme, Govt. of West Bengal,
Labour Department, Kolkata.
23. Director, Medical & Health Services, (ESI Scheme), Govt. of Jharkhand,
Labour, Planning & Training Department, Ranchi.
24. Director Medical & Health Services (ESI Scheme), Govt. of Uttarakhand,
ESI Dispensary, Rest Camp, Dehradun.
25. Director Medical & Health Services (ESI Scheme), Govt. of Chattishgarh,
D-290/5, Tagore Nagar, Raipur.

(Appointed by the Central Government under clause (e) of Sub-section (1) of Section 10 consultation with organisations of employers recognised by the Central Government for the purpose)

26. Shri G.P.Srivastava
Chief Advisor
ASSOCHAM
5, Sardar Patel Marg, New Delhi
Email- g.p.srivastava@assochem.com
27. Shri S. A. Khan,
Head (HR & CA), Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE),
SCOPE Complex, Core-8, First Floor,
7, Lodi Road,
New Delhi 110 003
Email- hrscope.khan@gmail.com

28. Mrs. Malti Baad,
Ex.Director,
Gujarat Employers Organization
Trident Complex, Opp. GERI Office
Race Course, Vadodara, Gujarat

(Appointed by the Central Government under clause (f) of Sub-Section (1) of Section 10 in consultation with organisations of employees recognised by the Central Government for the purpose)

29. Shri S.Malleshham
Preseident(BMS Telangana State)
Bhartiya Mazdoor Sangh,
TRT-141, Jawahar Nagar,
Hyderabad(Telangana)
Email-malleshham_sunkari@yahoo.com

30. Shri Arvind S.Parmar
RDL-5, GIDC Colony, 1st floor, Kalol
Distt-Panchmahal, Gujarat
Email-arvindsingh_parmar@yahoo.in

31. Shri Ram Kishore Tripathi
Secretary,Hind Mazdoor Sabha(HMS)
Trayambak,
128/239, K-Block
Kidwai Nagar, Kanpur(UP)
Email- tripathi.rm@gmail.com

(Appointed by the Central Government under clause (g) of Sub-section (1) of Section 10 in consultation with organisations of Medical Practitioners recognised by the Central Government for the purpose)

32. Dr. Vinay Kumar Aggarwal,
A-14, Pushpanjali,
Vikas Marg Extn.,
Delhi 110 092
Email- vinayaggar@yahoo.com

33. To be notified-

34. To be notified-

[F. No. U-16012/02/2010-SS-I]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.